न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 50 / 2014 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. अब्दुल रजाक	बनाम	1.खेताराम
2. जमालदीन		2.जेठाराम
3. हाजी मोहम्मद		3.मंगलाराम पिसरान हरखाराम
4. इमामदीन		4.अमीयो बेवा हरखाराम
5. सतार पिसरान नैनुखां		5.दीपाराम पुत्र दमाराम
6. फरीद		6.मूलीदेवी पत्नी दमाराम
7. यासीन पिसरान तनाबक्स		7.मेहाराम पुत्र भीखाराम
8. मंजुरअली पुत्र रहीमबक्स		8.नवलाराम पुत्र भीखाराम जाति दर्जी निवासी डुगेरो का तला (हाथीतला) तहसील व जिला बाड़मेर
9. सुगरी पत्नी रहीमबक्स जाति मुसलमान तेली निवासी डुगेरो का तला हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर।		9.श्रीमती दमीदेवी पत्नी केसराराम जाति जाट निवासी डुगेरो का तला (हाथीतला) तहसील व जिला बाड़मेर
		10.पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाड़मेर
		11.तहसीलदार, बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 160 / 2014 बअनवान अब्दुल रजाक बनाम खेताराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 07.08.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सम्पतराज बोथरा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनील के मेराजा रेस्पोडेंट की ओर से ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 17.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता सभी नैनु खां के वारिसान है। मौजा डुगेरो का तला पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील बाड़मेर में अपीलकर्ता के पैतृक खातेदारी अधिकारों का एक खेत खसरा संख्या 325 रकबा 128.19 बीघा का आया हुआ था जिसे वक्त सेटलमेंट अपीलकर्ता के पूर्वज नैनु खां ने सेटलमेंट अधिकारियों से मिलकर नपवाया था तथा चैनमेन इत्यादि का खर्चा वहन किया था, परन्तु सेटलमेंट अधिकारियों की भूल से उपरोक्त खेत खसरा संख्या 325 राजस्व रिकोर्ड में नैनु खां के नाम से रकबा 114.05 बीघा ही दर्ज हुआ। शेष रकबा 14.13 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बिना किसी नाम के दर्ज हो गई। उतरदाता संख्या 01 से 08 के पूर्वज भीखा वगैरह के नाम से खेत खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

318 रकबा 107.17 बीघा वक्त सेटलमेंट के दर्ज हुआ था। परन्तु मौके पर इसका जो नक्शा बना था वह राजस्व नक्शा 107.17 बीघा की बजाय कुल 196 बीघा जमीन का नक्शा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। जबकि हकीकत में उतरदाता संख्या 01 से 08 के पूर्वज भीखा वगैरह की खातेदारी में 107.17 बीघा ही थी तथा मौके पर इसी अनुसार काबिज थे। उतरदाता संख्या 01 से 06 के मध्य खेत खसरा संख्या 318 रकबा 107.17 बीघा का बंटवाड़ा हुआ था। बंटवाड़ा किये जाने के उपरांत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उक्त खेतों का बंटवाड़ा दर्ज किया गया परन्तु नक्शे में उक्त खेतों की तरमीम इसलिए नहीं की गई क्योंकि राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 318 के रूप में 107.17 बीघा की जगह मौके पर 196 बीघा भूमि अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.08.2014 में यह स्पष्ट माना है कि खसरा संख्या 318 के राजस्व नक्शे अनुसार मौके पर 196 बीघा जमीन उपलब्ध है जिसमें से 14.13 बीघा भूमि पर अपीलकर्ता का कब्जा व काश्त है। अपीलकर्ता का उपरोक्त कब्जा व काश्त सेटलमेंट से लगाकर आज दिन तक लगातार एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी हल्का पटवारी एवं आर आई हल्का द्वारा मौके पर अपीलकर्ता का 14.13 बीघा भूमि पर लगातार एवं निर्बाध रूप से कब्जा होना जाहिर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र के निस्तारण में समय लगने की संभावना रहती है यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में मौके की स्थिति में बदलाव आ गया तो पक्षकारान को भारी अपूर्णीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में वाद पत्र के निस्तारण तक यथास्थिति का आदेश किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। विधि से परे जाकर पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर अपीलकर्ता के कब्जे व काश्त में दखलदांजी नहीं करे इस आशय के आदेश पारित किये जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उतरदाता संख्या 01 से 08 के पूर्वज भीखा वगैरह की खातेदारी में 107.17 बीघा ही थी तथा मौके पर इसी अनुसार काबिज थे। उतरदाता संख्या 01 से 06 के मध्य खेत खसरा संख्या 318 रकबा 107.17 बीघा का बंटवाड़ा हुआ था। बंटवाड़ा किये जाने के उपरांत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उक्त खेतों का बंटवाड़ा दर्ज किया गया परन्तु नक्शे में उक्त खेतों की तरमीम इसलिए नहीं की गई क्योंकि राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 318 के रूप में 107.17 बीघा की जगह मौके पर 196 बीघा भूमि अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

ने अपने आदेश दिनांक 07.08.2014 में यह स्पष्ट माना है कि खसरा संख्या 318 के राजस्व नक्शे अनुसार मौके पर 196 बीघा जमीन उपलब्ध है जिसमें से 14.13 बीघा भूमि पर अपीलकर्ता का कब्जा व काश्त है। अपीलकर्ता का उपरोक्त कब्जा व काश्त सेटलमेंट से लगाकर आज दिन तक लगातार एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी हल्का पटवारी एवं आर आई हल्का द्वारा मौके पर अपीलकर्ता का 14.13 बीघा भूमि पर लगातार एवं निर्बाध रूप से कब्जा होना जाहिर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र के निस्तारण में समय लगने की संभावना रहती है यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में मौके की स्थिति में बदलाव आ गया तो पक्षकारान को भारी अपूर्णीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में वाद पत्र के निस्तारण तक यथास्थिति का आदेश किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। विधि से परे जाकर पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर अपीलकर्ता के कब्जे व काश्त में दखलदांजी नहीं करे इस आशय के आदेश पारित किये जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम डूगेरो का तला पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील बाड़मेर की खसरा संख्या 318 के पास ही प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त का खेत खसरा संख्या 325 रकबा 114.05 बीघा अवस्थित है। रेस्पोडेंट के पूर्वज भीखा पुत्र सोना उर्फ पना की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि ग्राम डूगेरो का तला में स्थित है, जिसके खसरा संख्या 318 है उक्त खसरान के राजस्व नक्शे अनुसार 192.03 बीघा भूमि पर रेस्पोडेंट/विप्रार्थीगण का कब्जा काश्त उनके पूर्वज भीखा के समय से लगातार चला आ रहा है। लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों की भूल से रेस्पोडेंट की खातेदारी खेत का रकबा 192.03 बीघा दर्ज करने बजाया 107.17 बीघा ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। राजस्व नक्शे में दर्ज रेस्पोडेंटस के खातेदारी खेत खसरा संख्या 318 की भूमि पर रेस्पोडेंटस के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, बाधा व परिवर्तन नहीं करे तथा न ही जबरन काबिज होने का प्रयास करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि "पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस में यह तो स्पष्ट है कि विवादित खसरा संख्या 318 का रकबा 107.17 बीघा वक्त सेटलमेंट में दर्ज हुआ है लेकिन मौके पर वास्तविक भूमि रकबा 193.17 बीघा है।" इस अधिक भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी घोषणा बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वाद अधीनस्थ न्यायालय में लंबित है। वाद के निर्णय के पश्चात ही इस पर हक–हकूक तय हो पाऐगं तब तक वादी पक्ष/अपीलांट भी रिकॉर्ड में अभिलिखित रकबे से अधिक भूमि पर हक का कब्जा नहीं जमा सकते और प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस भी नाहक इस पर कब्जे का प्रयास नहीं करें। लिहाजा मौके की यथास्थिति बनाए रखने के लिए उभयपक्ष समान रूप से पाबंद किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी ग्राम डुगेरो का तला के खेत खसरा संख्या 325 रकबा 114.05 बीघा, खसरा संख्या 318 रकबा 107.17 बीघा (नक्शा मुताबिक रकबा 192.03 बीघा) की आज दिनांक की स्थिति को वाद निस्तारण तक कायम रखे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है किं वह विचाराधीन वाद का निस्तारण 06 माह की अवधि में करने के प्रयास करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner